an>

Title: Regarding amendment to Prime Minister Crop Insurance scheme for the benefit of farmers.

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने किसानों की लगातार प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद होती फसलों को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इससे किसानों में बड़ा उत्साह है। इसकी जो प्रिमियम राशि तय की गयी है, उसमें भी किसानों को कोई शिकायत नहीं है। किन्तु प्रिमियम राशि लागत खर्च के आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा जमा कराया जा रहा है जबकि इसकी आवश्यकता फसल के कुल उत्पादन के आधार पर होनी चाहिए। अभी हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं में जो केन्द्र सरकार से राहत देने का प्रावधान था, उसे डेढ़ गुना बढ़ाया था। मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने भी आर.बी.सी. ऐक्ट में संशोधन कर राहत राशि बढ़ाई है, जिससे किसानों की लागत राशि के नुकसान होने पर किसी न किसी रूप में राहत की भरपाई हो जाती थी। नयी फसल बीमा योजना का लाभ यदि किसानों को शत-प्रतिशत दिलाना है, तो जो प्रावधान अभी लागत खर्च बीमा का है, उसके साथ-साथ कुल उत्पादित फसल की बीमा का भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है, तभी सही मायने में किसानों के फसल के नुकसान की सही भरपाई की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष :

सर्वश्री आलोक संजर,

अनूप मिश्रा,

रोड़मल नागर,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

भैरो प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।